पत्र संख्या-आई0टी0-NIC S/W- (2016-17) // 695 / 1617042 // वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(आई0टी0 अनुभाग)
लखनऊ // दिनांक // अक्टूबर, 21 2016

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

आप अवगत हैं कि GST लागू किये जाने से पूर्व वर्तमान में विभाग में पंजीकृत व्यापारियों को स्वत: GSTIN generate कर उपलब्ध कराया जाना है तथा ये GSTIN PAN आधारित होगा। अत: जिन व्यापारियों का Valid PAN उपलब्ध नहीं है उन्हें स्वत: GSTIN उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं हो पायेगा और ऐसे व्यापारी GST में पंजीयन से वंचित रह जायेगें। GST में सभी प्रक्रियायें ऑनलाइन की जानी प्रस्तावित हैं तथा इसके लिये प्रत्येक पंजीकृत व्यापारी को एक Login-ID व Password GSTIN के Portal हेतु उपलब्ध कराया जायेगा जो उनके ई-मेल आई0डी0 व फोन नम्बर पर संसूचित किया जायेगा। अत:पंजीकृत व्यापारियों के लिये यह आवश्यक है कि उनके Valid PAN के साथ-साथ उनके ई-मेल आई0डी0 व फोन नम्बर विभाग के पास उपलब्ध हो। PAN के अपडेशन हेतु विभाग द्वारा बार-बार पंजीकृत व्यापारियों को उनकी ई-मेल आई0डी0 पर तथा उपलब्ध फोन पर SMS के माध्यम से सूचना प्रेषित की गयी है तथा Website पर भी यह सूचना लगातार दी जा रही है। जिन व्यापारियों द्वारा E-Services का प्रयोग नहीं किया जा रहा है तथा जिनके फोन अथवा ई-मेल आई0डी0 उपलबध नहीं हैं उनके द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों की रसीद पर भी यह सूचना लगातार अंकित की जा रही है। किंतु फिर भी कुछ व्यापारियों द्वारा अभी तक न तो PAN updation कराया गया है और न ही ई-मेल आई0डी व फोन नम्बर विभाग को उपलब्ध कराया गया है। अत: दिनांक 21-10-2016 से ऐसे व्यापारियों की E-Services बाधित कर दी गयी है तथा ऐसे व्यापारियों की Manual रसीद जारी किये जाना भी रोक दिया गया है।

2- उपरोक्त प्रक्रिया के कारण दिनांक 21-10-2016 से ऐसे व्यापारी जिनके द्वारा ई-सेवायें नहीं ली जा रही हैं उनके Return की रसीद भी नही कट रही है। कतिपय जोनों द्वारा मुख्यालय को इस समस्या से अवगत कराया गया है अत: इस सम्बंध में निर्देशित किया जाता है कि ऐसे व्यापारी जिनके द्वारा PAN updation नहीं कराया गया है अथवा ई-मेल आई0डी0 व फोन नम्बर विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है तथा नियमानुसार जिन्हें Manual रिटर्न दाखिल करने की सुविधा उपलब्ध है उनके Manual रिटर्न के साथ ही उनके सही PAN की छायाप्रति एवं उनकी ई-मेल आई0डी0 व फोन नम्बर प्राप्त कर उनका PAN तत्काल प्रभाव से Software में update करते हुए उन्हें तत्काल रसीद जारी की जाये तथा यदि व्यापारी के पास ई-मेल आई0डी0 उपलब्ध नहीं है तो उन्हें ई-मेल आई0डी0 बनाने हेतु पर्याप्त जानकारी उपलब्ध करायी जाये। कार्यालय में व्यापारी सुविधा केंन्द्र एवं अन्य प्रमुख स्थानों पर इस आशय की सूचना अंकित करा दी जाये कि जिन व्यापारियों का सही PAN उपलब्ध नहीं होगा वह स्वत: GST में Migrate नहीं हो पायेंगें और GST के पंजीयन से वंचित हो जायेगें। अत: उन्हें अपना PAN updation कराना तथा ई-मेल आई0डी0 व फोन नम्बर उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है। विभिन्न व्यापार मण्डलों अधिवक्ता संघों की बैठक बुलाकर भी उन्हें इस तथ्य से अवगत कराते हुए सभी व्यापारियों का PAN updation कराना तथा उनके फोन नम्बर व ई-मेल आई0डी0 डाटा बेस में अंकित कराना सुनिश्चित किया जाये।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये। यह पत्र कमिश्नर वाणिज्य कर के निर्देशानुसार जारी किया जा रहा है।

(विवेक कुमार)
एडीशनल कमिश्नर(GST)वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।